(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 363–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–01–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 251/अपील/2014–15.

श्रीराम पिता गब्बाजी राठौड़
निवासी ग्राम लुन्हेरा बुजुर्ग
तहसील मनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

विश्राम पिता सोकलिया
निवासी ग्राम लुन्हेरा बुजुर्ग
तहसील मनावर जिला धार .....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.आर. भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25/05/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ऑनलाईन शिकायत कर बताया गया कि उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर उसकी भूमि 0.032 हेक्टेयर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार, मनावर द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10–10–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि में से आवेदक को सात दिवस में कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम

अपील अनुविभागीय अधिकारी, मनावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–1–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित करने में गम्भीर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा मात्र शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक के तथाकथित सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत सीमांकन को प्रमाणित करना आवश्यक है तथा उक्त सीमांकन दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया जाना भी आवश्यक है । वर्तमान प्रकरण में जो तथाकथित सीमांकन राजस्व निरीक्षक के द्वारा ई.टी.एस. मशीन से करना बतलाया गया है, किन्तु ऐसी किसी भी सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व सूचना आवेदक को नहीं दी गई है, इस कारण प्रश्नाधीन सीमांकन की कार्यवाही अवैध एवं शून्यवत होने से ऐसे अवैध सीमांकन के आधार पर बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(3) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य कोई ध्यान नहीं दिया है कि तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण में न तो राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के कथन अंकित किये गये हैं, और न ही किसी भी पक्ष की साक्ष्य अंकित किये गये हैं ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस वैधानिक स्थिति पर पर भी कोई विचार नहीं किया कि पूर्व में भी आवेदक एवं अनावेदक के मध्य इसी भूमि से संबंधित प्रकरण कमांक 16/अ–74/2002–03 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चला था, और उक्त प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण कार्यवाही समाप्त की गई है । उक्त प्रकरण में अनावेदक को 0.002 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य भी आवेदक से प्राप्त हो चुका

है। अतः संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है ।

(5) उभय पक्ष के मध्य दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत वर्ष 2014 में कार्यवाही चली थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–8–2014 को आदेश पारित कर यह निर्णय दिया गया है कि दोनों पक्ष अपने–अपने भूमियों पर काबिज हैं, इसके उपरांत भी अवैध सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, और तहसील न्यायालय के अवैध आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1980 आर.एन. 244, 2014 आर.एन. 69, 2014 आर.एन. 259, 2014 आर.एन. 303 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन के लिए विधिवत सीमांकन दल गठित किया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की भूमियों का कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा शिकायत के आधार पर सीमांकन दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर सीमांकन की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त यह भी निर्विवादित है कि सीमांकन दल द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है और पड़ोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है और इसके आधार पर तहसीलदार

द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत किये गये सीमांकन को आक्षेपित किया जा सकता है ? इस संबंध में निगरानी प्रकरण कमांक 562–पीबीआर/2009 जमनादास विरूद्ध नानकराम आदि में इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन में गंभीर अनियमितताएं की गई है, तब संहिता की धारा की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन को आक्षेपित किया जाता है । अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित होने से उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है और चूँकि तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि द्रोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है, इसलिये उनके आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–01–2016, अनुविभागीय अधिकारी मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–04–2015 एवं नायब तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2014 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर